सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-400/2022 दिनांक- 04-दिसम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जीयनपुर क्षेत्र में प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हुयी हत्या में नामजद दुसरा अभियुक्त बृजेश यादव उर्फ बिस्सू गिरफ्तार; पूर्व में पुलिस ने अभियुक्त मेवालाल को किया था गिरफ्तार

➡दिनांक- 01.12.2022 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना जीयनपुर के बाईपास के पास से जा रहे प्रधानाध्यापक संजय यादव को बदमाशों ने गोली मार दी है। ईलाज के दौरान प्रधानाध्यापक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात करके उन्हें मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया गया।

➡वादी श्री शैलेश यादव पुत्र राजबली यादव निवासी गोडइतपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-719/22 धारा 302/504/506 भादवि व धारा 7 दंडविधि (द्वितीय संशोधन) अनिनियम, 1983 बनाम 1. मेवालाल यादव पुत्र स्व0 देवनरायण यादव, 2. विरेन्द्र यादव उर्फ ड्बलू यादव पुत्र मेवालाल यादव, 3. बृजेश यादव उर्फ बिस्सू पुत्र मेवालाल यादव निवासी कसड़ा आईमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

➡विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

➡ दिनांक- 02.12.2022 को अभियुक्त मेवालाल यादव पुत्र स्व0 देवनरायण यादव निवासी कसड़ा आईमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था।

➡आज दिनांक- 04.12.2022 को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दुसरे अभियुक्त बृजेश यादव उर्फ बिस्सू पुत्र मेवालाल यादव निवासी कसड़ा आईमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ को मुबारकपुर तिराहे के पास से समय लगभग 14.05 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-719/22 धारा 302/504/506 भादवि व धारा 7 दंडविधि (द्वितीय संशोधन) अनिनियम, 1983 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- **674/22 धारा** 34/323/452/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- **253/21 धारा** 323/308/325/504 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0- **07/2016 धारा** 323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0- **180/2014 धारा** 143/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बृजेश यादव उर्फ बिस्सू पुत्र मेवालाल यादव निवासी कसड़ा आईमा थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

थाना- निजामाबाद

दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –वादिनी कलवा देवी पत्नी भूल्लन वनवासी ग्राम हरिदाशपुर थाना तरवा जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री रेखा पुत्री भूल्लन वनवासी की शादी राहुल वनवासी पुत्री साहब वनवासी ग्राम कुजियारी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ के साथ हुयी थी जिसको दहेज के लिये आये दिन प्रताड़ित करने गाली गलौज करते हुये जान से मार दिया गया है, के संबंध में मु0अ0सं0 436/22 धारा 498ए, 304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1.(पति)राहुल वनवासी पुत्र साहबलाल वनवासी 2. (ससुर) साहबलाल वनवासी पुत्र केदार बनवासी 3. सास श्रीमती द्रौपदी पत्नी साहबलाल बनवासी 4. रुपा देवी पत्नी कपूरचन्द वनवासी 5. कपूरचन्द वनवासी पुत्र साहबलाल बनवासी निवासीगण कुजियारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्द दिनांक 14.10.2022 को पंजीकृत कराया गया है।

2. गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 04.12.2022 को उ0नि0 पवन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबधित अभियुक्त 1.कपुरचन्द्र बनवासी पुत्र साहबलाल बनवासी 2. रुपा पत्नी कपुरचन्द्र बनवासी निवासीगण कुजियारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर कुजियारी से समय 11.00 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 436/22 धारा 498ए, 304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.कपुरचन्द्र बनवासी पुत्र साहबलाल बनवासी

2. रुपा पत्नी कपुरचन्द्र बनवासी निवासीगण कुजियारी थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 02.12.2022 को वादी थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित सूचना दिया वादी की लड़की उम्र लगभग 16 वर्ष है, को स्कूल आते-जाते समय जगदम्बा सोनी पुत्र शिवकुमार सोनी निवासी ग्राम- जलालपुर जगनन्दनपट्टी अपनी कार मे बैठा लिया और अपने जीजा रिंकू सोनी पुत्र सुबाष सोनी के मकान स्थित कप्तानगंज बाजार मे ले जाकर मेरी लडकी के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो दिखाकर और उसे वायरल करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 337/2022 धारा 376D/506 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

2.गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 04.12.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार मय उ0नि0 जितेन्द्र सिंह, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जगदम्बा सोनी पुत्र शिवकुमार सोनी निवासी जलालपुर जगनन्दनपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को पासीपुर पुलिया के पास समय करीब 12.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से फोन बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 337/22 धारा 376D/354ग/506 भादवि व 5छ/6 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जगदम्बा सोनी पुत्र शिवकुमार सोनी निवासी जलालपुर जगनन्दनपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी - घटना से सम्बन्धित एक अदद मोबाइल OPPO

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार मय हमराह थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह थाना कप्तानगंज आजमगढ़

थाना कोतवाली

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – **वादी अजय कुमार पुत्र बाबूराम निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ के द्वारा दिये गये तहरीर जिसमें अभियुक्त *1.*पियूष पाण्डेय पुत्र श्रीधर पाण्डेय *2.*कल्लू उर्फ सत्यप्रकाश पाण्डेय पुत्र श्रीधर पाण्डेय *3.*राजू पाण्डेय पुत्र श्रीधर पाण्डेय *4.*सुरेश सिंह पुत्र अज्ञात *5.*किशन पाण्डेय पुत्र अज्ञात निवासीगण हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा**

एक राय होकर घर मे घुसकर लाठी ,लोहे के राड से मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे था, प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु*0अ0सं0 521/22* धारा *323/452/506/34* भादवि व *3(1)*द,*3(1)*ध व *3(2)va SC/ST* एक्ट दिनांक 7.11.22 को पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है। जिसमें अभियुक्त राजू पाण्डेय पुत्र श्रीधर पाण्डेय उपरोक्त वांछित था।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 04.12.2022 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **राजू पाण्डेय पुत्र श्रीधर पाण्डेय निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़** उम्र 42 वर्ष को जुनैदगंज चौराहा के पास से समय 12.07 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु*0अ0सं0 521/22* धारा *323/452/506/34* भादवि व *3(1)*द,*3(1)*ध व *3(2)va SC/ST* एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - 1. **राजू पाण्डेय पुत्र श्रीधर पाण्डेय निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़**

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1.प्र0नि0 शशीचन्द्र चौधरी मय हमराह कोतवाली नगर आजमगढ़ ।

2. उ0नि0 मुरारी मिश्र चौकी प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना- मेंहनगर

अपहरण कर बंधक बनाया गया अपहृत सकुशल बरामद घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

1. **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** सूचनाकर्ता कुशल जायसवाल पुत्र अजय जायसवाल निवासी पडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के द्वारा कि सोशल मीडिया पर आर्टिकल का काम करता हूँ। मेरी जान पहचान करीब 6 माह पहले दीपक यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी रायपुरपट्टी थाना मेंहनगर आजमगढ से हुई दीपक ने मुझको 60000 हजार वर्क करने हेतु दिये थे दिनांक 3-12-2022 को मैं मुम्बई से सुबह करीब 6 बजे दीपक के घर पर आया दीपक घर पर मौजुद मिले जब मैने अपना लैपटाप मांगने लगा तो कहे कि मेरा पैसा वापस कर दो तभी में लैपटाप वापस कंरूगा जब कि मैं उनके दिये गये पैसे का वर्क कर चुका था फिर भी मुझको अपनी गाडी न0 up50cc3232 स्कार्पियों में बंधक बनाकर गाडी में रखे हुए थे तथा मुझको अपने घर नही जाने दे रहे थे। तथा गाडी को गुप्त स्थान पर रखते थे मेरे द्वारा विरोध करने पर रास्ते में गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे मेरे जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 369/22 धारा 365/323/504 भादवि बनाम दीपक यादव पुत्र रामअवतार यादव सा0 रायपुर पट्टी थाना मेंहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. सुभाष तिवारी द्वारा संपादित की जा रही है।
2. **गिरफ्तारी की विवरण** – दिनांक- 04.12.2022 को उ.नि. कन्हैयालाल मौर्य (प्रभारी थानाध्यक्ष) मय हमराह द्वारा अपहृत कुशल जायसवाल पुत्र अजय जायसवाल निवासीपडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को अभियुक्त दीपक यादव पुत्र रामअवतार यादव सा0 रायपुर पट्टी थाना मेंहनगर आजमगढ़ के पास से बरामद करते हुए अपहृत के तहरीरी सूचना पर मु.अ.सं. 369/22 धारा 365/323/504 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त दीपक यादव उपरोक्त को समय करीब 09.20 PM पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियों रजि. नं. UP50CC3232 को कब्जा पुलिस में लिया गया।
3. **गिरफ्तारी का स्थान**– लखराव पोखरा समय 09.20 PM बजे
4. **पंजीकृत अभियोग**- मु.अ.सं. 369/22 धारा 365/323/504 थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
5. **आपराधिक इतिहास- मु.अ.सं. 215/10 धारा 147/352/504 भादवि व 7 CLA ACT थाना तरवां**
6. **गिरफ्तार अभियुक्त** – दीपक यादव पुत्र रामअवतार यादव सा0 रायपुर पट्टी थाना मेंहनगर, आजमगढ़
7. **बरामदगी** – अपहृत कुशल जायसवाल पुत्र अजय जायसवाल निवासीपडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर व घटना में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियों रजि. नं. UP50CC3232 बरामद
8. **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**- उ.नि. कन्हैयालाल मौर्य (प्रभारी थानाध्यक्ष) मय हमराह का0 सोनू यादव, का0 हिमांशु गिरि, का0 विजेन्द्र धुसिया व म0का0 सुप्रिया राय थाना मेंहनगर आजमगढ़ ।

पीआरवी के 02 कर्मचारियों को सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार

दिनांक- 27.11.2022 को समय- 14:32 बजे पीआरवी 1035 पर इवेन्ट नं0 07487 प्राप्त हुआ कि ग्राम- तियारा थाना- तरवां जनपद-आजमगढ़ मे एक अज्ञात आदमी बाइक चोरी करके भाग रहा है, गाड़ी नं0- बीआर 55 बी 0878 है । इस सूचना पर पीआरवी कर्मी द्वारा कालर से वार्तालाप करते हुए घटना स्थल पर पहुचे तो कालर द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी करके ग्राम तियारा की तरफ गया है, पीआरवी कर्मी द्वारा कालर को साथ लेकर चोरी करके भाग रहे अज्ञात व्यक्ति का पीछा किया गया तो करीब 04 किमी पीछा करने पर कालर की बाइक नं0 बीआर 55 बी 0878 दिखी, जिसे कालर ने बताया कि यही मेरी बाइक है । तत्पश्चात् पीआरवी कर्मी द्वारा चोर व बाइक को पकड़ कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना पर सुपुर्द किया गया, जहां उक्त घटना के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 162/22 धारा 379/411 भादवि बनाम बिरजू खरवार पुत्र जोगेश खरवार सा0 निहुला थाना-मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया । पीआरवी कर्मियों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य से प्रभावित होकर यू0पी0 112 मुख्यालय लखनऊ से पीआरवी 1035 के कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त पीआरवी कर्मियो के कार्य की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार 2000-2000 रूपये से पुरस्कृत किया गया ।

पीआरवी 1035 के कर्मचारीगण-

1. कमाण्डर मु0आ0 एजाज अहमद
2. पायलट हो0गा0 जितेन्द्र कुमार मिश्रा